

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 11, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

अधि. क्रमांक-149-एफ 1-18-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 20 नवम्बर 2015 को अधिसूचना क्रमांक 146 क्रमांक एफ 1-18/2015/18-3 द्वारा म. प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, मझौली जिला सीधी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची प्रकाशित की गई है. उक्त अधिसूचना में सरल क्रमांक 7 निम्नानुसार प्रकाशित है :-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	03-विवेकानन्द वार्ड 07-पं. दीनदयाल वार्ड 01-डॉ. अम्बेडकर वार्ड 14-डॉ. हेडगेवार वार्ड

2. राज्य शासन एतद्वारा उक्त सूची में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	03-विवेकानन्द वार्ड 07-पं. दीनदयाल वार्ड 08-डॉ. अम्बेडकर वार्ड 14-डॉ. हेडगेवार वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.